पत्रांक 4123 /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून :: 17 नवम्बर, 2015

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्र0), वाणिज्य कर,
देहरादून/त्रषिकेश /हरिद्वार/रुडकी
काशीपुर/बाजपुर/रुद्रपुर/खटीमा सम्भाग।

उत्तराखण्ड शासन वित अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 477/2015 /181(120)XXVII(8)/2008 दिनांक 09 नवम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 में "मूल नियमावली" में नीचे स्तम्भ–1 में दिए वर्तमान नियम 19 के उपनियम (9) के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में संशोधन नियमावली 2015 संशोधित किया गया।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें तथा बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 4123 /दिनांक उक्त।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3–महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
4–अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
5–एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
6–एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
7–ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
8–श्रीमती नीलम ध्यानी, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

9–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

10–आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।

11–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

12–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

13–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

14–National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15–Swastik Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

17–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

18–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

19–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

20–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

21–प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81–मोती बाजार देहरादून।

22–The whole sale dealers Association 14–आढ़त बाजार देहरादून।

23–प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

24–कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

25–समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय देहरादून।

एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
मुख्यालय देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 477/2015/181(120)/XXVII(8)/08
दिनांक:: देहरादून :: 09 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 19में संशोधन

2. "मूल नियमावली" में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 19 के उपनियम (9) के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
(वर्तमान उपनियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)
19. भुगतान करने के रीति : **(9)(क)** अधिनियम अथवा नियमों के अधीन देय कोई धनराशि इलैक्ट्रॉनिक विधि से संदत्त की जा सकती है। ई–पैमेन्ट के प्रयोजन हेतु प्रारूप–6(**संशोधित**) में ई–चालान प्रयुक्त किया जायेगा। यह विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा।	**19. भुगतान करने की रीति :** **(9)(क)** अधिनियम अथवा नियमों के अधीन देय कोई धनराशि इलैक्ट्रॉनिक विधि से संदत्त की जा सकती है। ई–पैमेन्ट के प्रयोजन हेतु प्रारूप–6(**संशोधित–1**) में ई–चालान प्रयुक्त किया जायेगा। यह विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

विधि अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
8380
17/11/15
अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– 477/2015/181(120)/XXVII (8)/08,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)

अनुसचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of " the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No477/2015/181(120)/XXVII(8)/08 dated 09 November 2015 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 477 / 2015/181(120)/ XXVII(8)/08
Dehradun :: Dated:: 09 November 2015

Notification

In exercise of the powers conferred by section 71 of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend in the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005.

The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2015

Short title and Commencement

1. **(1)** These rules may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2015.

   (2) This shall come into force at once.

Amendment in Rule 11

2. For the existing clause (a) of sub-rule(9) of rule 19of the "Principal Rules" given in column-1 below, the following clause given in column-2 shall be substituted; namely-

Column-1	Column-2
(Existing clause)	**(Hereby Substituted clause)**
19. Manner of Payment: **(9)(a)** Any amount payable under the Act or Rules may be paid electronically. For the purpose of e-payment an e-challan in Form-VI(Amended) shall be used. It shall be made available on the website of the Department.	**19. Manner of Payment:** **(9)(a)** Any amount payable under the Act or Rules may be paid electronically. For the purpose of e-payment an e-challan in Form-VI(Amended-1) shall be used. It shall be made available on the website of the Department.

(Amit Singh Negi)
Secretary.